न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 137 / 19 वाद GCMS NO : 2019/00343
पूर्व प्रकरण संख्या : 2 / 2011

श्रीमती दौलीबाई पुत्री स्व. कन्ना जी डांगी, निवासी–बोलियों की भागल लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....वादीया

बनाम

1. श्री जगन्नाथ पिता वाला जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर मृतक के बजाय :–
   - 1 / 1. श्री भेरूलाल पिता स्व. जगन्नाथ जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकड़वास, तहसील गिर्या, जिला उदयपुर
   - 1 / 2. श्रीमती बेनीबाई पिता स्व. जगन्नाथ जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्री खेमा पिता वाला जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. श्री टेका पिता वाला जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. श्री पेमा पिता मोती जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
5. श्री ओंकार पिता वज्जा जी डांगी मृतक के बजाय–
   - 5 / 1. नाथू पिता ओंकार जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
   - 5 / 2. श्री रघू जी पिता ओंकार जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
   - 5 / 3 . श्रीमती खेमाबाई पिता ओंकार जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
   - 5 / 4. श्रीमती लक्ष्मीबाई पिता ओंकार जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:30 IST
Reason: SelfAttested

6. श्री माना पिता कुका जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
7. श्री किशन उर्फ कन्ना जी डांगी पिता भग्गा जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
8. श्रीमती टम्मु पत्नी भग्गा जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
9. परथा पिता सवा जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
10. श्री हेमराज पिता कुका जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
11. भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा बडगांव, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
12. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
13. यू.टी.आई बैंक लिमिटेड उदयपुर (राज.)
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53. 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः— श्री सम्पतलाल बोहरा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक : 27.05.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) में परिशिष्ठ (क) अनुसार खाता संख्या नया 268 पुराना 272 आराजी संख्या 734 से 736, 740 से 742, 744, 753, 819, 836, 837 841, 842, 847, 848, 4220, 4221, 4225, 4238, 4239, 4240, 4241, 4249 कुल किता 23 कुल रकबा 3.0400 हैक्टयर, इसी प्रकार परिशिष्ठ (ख) अनुसार खाता संख्या नया 269 पुराना 273 आराजी संख्या 580 से 585, 838 कुल किता 07 कुल रकबा 0.6500 हैक्टयर, व परिशिष्ठ (ग) खाता संख्या नया 270 पुराना 274 आराजी संख्या 745, 546 कुल किता 02 कुल रकबा 0.0250 हैक्टयर, तथा परिशिष्ठ (घ) अनुसार खाता संख्या नया 271 पुराना 275 आराजी संख्या 3884, 3885 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2050 हैक्टयर भूमि स्थित है। परिशिष्ट (क) में अंकित वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पूर्वाधिकारी श्री कन्ना जी का 1/4 हिस्सा था, परिशिष्ठ (ख) में अंकित वादग्रस्त आराजीयात भूमि के पूर्वाधिकारी श्री कन्ना जी का 1/12 हिस्सा था। परिशिष्ठ (ग), (घ) में अंकित वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के पूर्वाधिकारी श्री कन्ना जी का 1/8

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:30 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा था। कन्ना जी के पिता का निधन सन् 1983 के लगभग हुआ। कन्ना जी के पिता श्री वाल जी के निधन के करीब 8 वर्ष बाद प्रतिवादी संख्या 2 खेमा ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह गलत तथ्य प्रकट किया कि "मृतक खातेदार श्री वाला जी के हम तीन पुत्र क्रमशः जगन्नाथ प्रतिवादी संख्या 1 व स्वयं श्री खेमा प्रतिवादी संख्या 2. व श्री टेका प्रतिवादी संख्या 3 ही है" तथा हमारी माताजी हैं। जबकि वादीगण के पूर्वाधिकारी यानि कि वादिया संख्या 1 के पति व वादिया संख्या 2 के पिता श्री कन्ना जी जीवित है। इस तरीके से वाला जी के निधन पर वाला जी की भूमि का न्यायागमन वालाजी के चारों पुत्रों एवं माता में हुआ एवं माता के निधन पर मां का हिस्सा चारों पुत्रों में न्यायागमन हुआ। ऐसी स्थिति में कन्ना जी का 1/4 हिस्सा परिशिष्ठ (क) वाली भूमि में होता है तथा परिशिष्ठ (ख) वाली भूमि में कन्ना जी का 1/12 हिस्सा तथा (ग) व (घ) वाली भूमि में कन्ना जी का 1/8 हिस्सा होता है कन्ना जी का निधन आज से करीब 16 वर्ष पूर्व यानि सन् 1994 के आस पास हो गया। जिससे कन्ना जी के बजाय यादीगण उत्तराधिकारी हुए इसी हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कब्जा चला आ रहा है। वादीगण के पूर्वाधिकारी श्री कन्ना जी वालाजी के पुत्र होने की जानकारी तत्कालीन पटवारी हल्का को होने पर प्रतिवादी संख्या 1. 2 व 3 के साथ वादीगण का नाम भी जोड़ने की अनुशंसा दिनांक 17.05.1993 को की जिस पर उपजिला कलेक्टर यानि माननीय न्यायालय के द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक में रिपोर्ट देने के बाद नामान्तरण संख्या 150 में वाला के बजाय प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 के साथ वादीगण का नाम भी जोड़ने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 ने अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसको दिनांक 25.11.1994 को निरस्त कर दी गई जिसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1. 2 व 3 ने मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिस पर मण्डल ने स्वप्रेरणा से इस निर्देश के साथ स्वीकार की कि चूंकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश एक प्रशासनिक आदेश है जो न्यायिक कार्यवाही नहीं हो सकता तथा वादीगण को न्यायिक कार्यवाही करने की स्वतंत्रता के साथ माननीय न्यायालय के आदेश को निरस्त किया इसकी जानकारी वादीगण को जमाबंदी की प्रति प्राप्त करने पर हुई। विवादित भूमि में प्रतिवादीगण अपना 1/3 हिस्सा मानते हुए व्यवहार कर रहे है तथा वादीगण के हिस्से से मना ही कर रहे है। वाद कारण विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 20.08.1998 मण्डल के द्वारा आदेश पारित करने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है तथा प्रतिवादी संख्या 11. 12 व 13 जो बैंक हैं, उनके बंधक का इंद्राज होने से आवश्यक पक्षकार है। जिससे इन्हे पक्षकार बनाया गया है। अतः निवेदन है कि वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण को उपरोक्त वर्णित हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर वादीगण के हिस्से में जो भूमि आवे उसमें प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि परिशिष्ट क, ख, ग, घ, में अंकित आराजीयात का मौजा लकडवास तहसील गिर्वा में स्थित होना स्वीकार है। वाला जी की मृत्यु बाद उसकी भूमि प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 3 तथा प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 3 की माता देऊ बाई के नाम दर्ज होना स्वीकार है। वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:30 IST
Reason: SelfAttested

को इसमें कोई हक व अधिकार नही है। वादिया नम्बर 1 गांव लकडवास छोड़कर अपने पीहर चली गयी वह अपने पीहर में ही रह रही है तथा वादिया नम्बर 2 भी वादिया नम्बर 1 के साथ रहते हुए किसी के साथ भाग गयी व उसी के साथ रह रही है। विवादित आराजी पर वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है, ना वादीगण का विवादित आराजी में कोई हक व हिस्सा है। वादग्रस्त भूमि न तो वादीगण में निहित हुई न वादीगण का विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार है, न कब्जा है। वादीगण के कथनानुसार ही वादीगण ने इतने लम्बे समय तक विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की है, न विवादित भूमि पर ही आई है। वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित सजरे में वाला की पुत्री गेन्दी व उसके वारिसान को नहीं दर्शाया गया है, न इस वाद में पक्षकार ही बनाया गया है जिसके अभाव में वादीगण का यह वाद चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का बाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 4 से 10 को जवाब हेतु पर्याप्त असवर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से प्रतिवादी का जवाब बंद किया गया।

प्रकरण में दावे, जवाबदावे के आधार पर दिनांक 06.08.2015 को निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादी वाद में वर्णित परिशिष्ठ (क) में 1/4 हिस्सा, परिशिष्ठ (ख) में 1/2 हिस्सा, परिशिष्ठ (ग) व (घ) में 1/8 वां हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है

.....वादीगण

2. आया वादिया वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

.....प्रतिवादीगण

3. आया वाद में वर्णित सजरा अपूर्ण होने से वादिया का वाद चलने योग्य नही है

.....प्रतिवादीगण

4. अनुतोष।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में वादी अधिक्ता द्वारा साक्ष्य में PW1 दोली बाई पुत्री कन्ना जी डांगी एवं PW2 टेका पिता वाला जी PW3 तेजराम पिता कुका PW4 प्रभुलाल पिता टेका का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज प्रदर्श कराए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में नामान्तरण पंजिका की प्रमाणि प्रति प्रदर्श–1, ग्राम लकड़वास की जमाबन्दी सम्वत् 2054–2057 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2, जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–3, राजस्व मण्डल न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.08.98 की फोटोप्रति प्रदर्श–4, ग्राम पंचायत लकड़वास प्रमाण पत्र प्रदर्श–5 है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई ब्यान् कलम किए गए। दौली बाई ने अपने ब्यान मे कथन किया कि वाला जी के चार बेटे थे। जगन्नाथ, टेका, खेमा व कन्ना। उन्होने अपने ब्यान में बताया कि उक्त आराजीयात में हमारा चौथा हिस्सा है। मैं जमीन पर खेती कर रही हूं। खेत पर मेरा कब्जा है एवम् सभी खेतों पर हम खेती कर रहे है। वादी द्वारा अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने से प्रतिवादी का जिरह अवसर बंद किया जाकर प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए ना ही साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया जिससे प्रतिवादी का साक्ष्य अवसर बंद किया जाकर प्रकरण साक्ष्य बहस हेतु नियत किया गया।

वादी विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस में अपने वाद पत्र में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात के पूर्वाधिकारी वाला जी थे। जिनकी स्वर्गवास होने से पश्चात् उनके चारों पुत्रों कन्ना, खेमा, जगन्नाथ, टेका व उनकी पत्नि देउ बाई के नाम विरासत से नामान्तरण होना चाहिए था, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कन्ना जी का नाम छुपाकर विरासत से अपने नाम पर नामान्तरण खुलवा दिया, जबकि कन्ना जी भी वाला जी के विधिक वारिसान होने से उनके नाम व उनके फौत होने के पश्चात् उनकी पत्नि रामीबाई व पुत्री दौलीबाई के नाम दर्ज होना चाहिए था। अतः निवेदन है कि वादग्रस्त आराजीयात में परिशिष्ट (क) में अंकित भूमि में वादीगण के पूर्वाधिकारी श्री कन्ना जी का 1/4 हिस्सा था। इसी प्रकार परिशिष्ठ (ख) में कन्ना जी का 1/12 हिस्सा, परिशिष्ठ (ग), (घ) में कन्ना जी का 1/8 हिस्सा होने से उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण उक्त हिस्से की घोषणा अपने नाम कराने के अधिकारी है।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवम् साक्ष्य, दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वाला जी के निधन के बाद वारिसानों का नामान्तरण संख्या 150 दिनांक 16.01.1992 को वाला जी के वारिसानों के रूप में तीन बेटों का ही अंकन हुआ। वादीया के पिता कन्ना पिता वाला का नाम अंकन से रह गया, जिसके लिए दोनों पक्षों ने उन्होंने पूर्व में उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, माननीय राजस्व मण्डल में वादीया व प्रतिवादी द्वारा पैरवी की गई। जिसका सार यह है कि उपखण्ड [illegible] गिर्वा द्वारा वादीया के पिता के वारिसानों के रूप में वादीया की [illegible] दौलीबाई का नाम राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ra[illegible]esh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:30 IST
Reason: SelfAttested

रेकार्ड में अंकन किया एवम् वाला जी की कुल आराजी में 1/4 हिस्सा दिया गया। प्रतिवादी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के वहां अपील की गई, लेकिन उनकी अपील को निरस्त कर उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के आदेश को यथावत रखा गया। माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश के विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय राजस्व मण्डल में अपील की जहा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपील को स्वीकार कर उप जिला कलक्टर, गिर्वा के आदेश को निरस्त करते हुए निर्देशित किया गया कि "यह आदेश कोई न्यायिक आदेश नहीं होकर प्रशासनिक आदेश है। प्रशासनिक आदेशों के सम्बन्ध में न्यायाहिक कार्यवाही को मिश्रित नहीं कर सकते है। उपखण्ड अधिकारी गिर्वा अलग से न्यायिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।" वादीया द्वारा उक्त आदेश के पालना में सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर, गिर्वा के यहां न्यायालय हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया गया।

उक्त पत्रावली में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार हैः—

1. **आया वादी वाद में वर्णित परिशिष्ठ (क) में 1/4 हिस्सा, परिशिष्ठ (ख) में 1/2 हिस्सा, परिशिष्ठ (ग) व (घ) में 1/8 वां हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है**

......वादीया

➢ तनकी सख्या 1 को साबित कराने का दायित्व वादी का है। वादी ने अपने तनकी के पक्ष में राजस्व ग्राम लकड़वास पटवार हल्का लकड़वास की वादग्रस्त आराजीयात का वादग्रस्त भूमि के पूर्वाधिकारी वाला का स्वर्गवास होने से उनके पुत्र खेमा के प्रार्थना पत्र के आधार पर विरासत से नामान्तरण संख्या 150 दिनांक 16.01.1992 द्वारा वाला के तीना पुत्रों जगन्नाथ, खेमा, टेका पिता वाला व देउ बाई बेवा वाला के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ, जो प्रदर्श—1 है। पत्रावली संलग्न माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर के निर्णय दिनांक 25.11.1994 का भी अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजीयात के पूर्वाधिकारी वाला के उत्तराधिकारियों में जगन्नाथ, खेमा, टेका के अलावा एक अन्य पुत्र कन्ना भी है, जो फौत हो चुका है। किन्तु वाला के उत्तराधिकारियों या अन्य किसी से जानकारी नहीं होने से कन्ना की पत्नि रामीबाई व पुत्री दौली बाई का नाम इन्द्राज होने से रह गया है। जिससे जिला कलक्टर गिर्वा ने भू निरीक्षक रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त आराजीया में रामीबाई व दोली बाई का नाम दर्ज दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिससे जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 की जमाबन्दी में वाला के वारिसों में रामीबाई व दौलीबाई का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज जो प्रदर्श—2 है। उप जिला कलक्टर, गिर्वा के आदेश से विरूद्ध होकर प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त न्यायालय संभागीय आयुक्त में अपील की ... जिसको माननीय न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:30 IST
Reason: SelfAttested

अस्वीकार किया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में द्वितीय अपील की गई जिसको माननीय न्यायलय द्वारा जिला कलक्टर, गिर्वा के आदेश को प्रशासनिक कार्यवाही बताते हुए निरस्त किया गया, जो प्रदर्श 4 है। जिसका प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 मे में रामीबाई व दौलीबाई का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाने का नाम अमल दरामद हुआ, एवम् पंचायत का प्रमाण पत्र प्रदर्श–5 है। वादीगण ने अपने वाद में कथन किया कि वादीया के पिता कन्ना जी वाला जी के पुत्र है, जिनके तीन भाई जगन्नाथ, खेमा, टेका है। नामान्तरण संख्या 150 में वादीया के पिता/उनके वारिसानों का नाम दर्ज नहीं हुआ। प्रतिवादी ने अपने कथन में इस बात का कभी खण्डन नहीं किया कि कन्ना जी वाला जी के पुत्र एवम् प्रतिवादीगण 2 व 3 के भाई नहीं है। वादीया ने अपने वाद के समर्थन में उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के आदेश से उनके माता एवं उनका नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन हुआ, उसकी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति पेश पेश की जो प्रदर्श–2 है। वादीया द्वारा पंचायत की प्रमाणित प्रति पेश की जिसमें बताया कि रामीबाई पत्नि कन्ना जी डांगी स्थानीय निवासी लकड़वास की होकर उसके पति के मृत्यु हो जाने से रामीबाई एवम् उसकी पुत्री दौलीबाई उसके साथ जीवन गुजारा कर रही है, यह प्रदर्श–5 है। वादीया द्वारा अपने ब्यानों में भी बताया कि वह अपने पिता की पुश्तैनी भूमि पर कब्जे काश्त होकर जीवनयापन कर रही है। प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष में कोई दस्तावेज प्रदर्श नहीं कराए ना ही साक्ष्य एवं ग्वाह प्रस्तुत किए। वादीया द्वारा यह तनकी सिद्ध करने में सफल हुई कि वादीया के पिता कन्ना जी वाला जी के पुत्र है एवम् प्रतिवादीगण 2 व 3 के भाई है। वादीया के पिता का वाला जी की कुल आराजीयात में 1/4 हक हिस्सा बनता है। अतः वादीया द्वारा उक्त तनकी को दस्तावेजों के माध्यम से सिद्ध कराया है जिससे यह तनकी वादीया के पक्ष में तय की जाती है।

2. आया वादिया वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

......प्रतिवादीगण

- तनकी सख्या 2 को साबित कराने का दायित्व प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावे के समर्थन में कथन किया गया है कि वादीगण का वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा वादीया ग्राम लकड़वास छोड़कर अपने पीहर चली गई है। किन्तु वादीगण का हक किस प्रकार से निहित नहीं है इस हेतु प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है ना ही दस्तावेजों के माध्यम से सिद्ध कराया गया है। वादीगण वादग्रस्त आराजीयात के पूर्वाधिकारी वाला के पुत्र कन्ना जी की पत्नि एवं पुत्री है एवम् ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सजरे से भी यह प्रमाणित होता है कि रामीबाई पत्नि कना जी स्थानीय निवासी लकड़वास की होकर अपनी पुत्री दौलीबाई के साथ अपना गुजारा कर रही है। वादीया द्वारा तनकी 1 अपने पक्ष में साबित करने एवं वादीया के पिता [illegible] को अपने पिता वाला जी की कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:30 IST
Reason: SelfAttested

सम्पति में 1/4 हक हिस्सा बनता है। प्रतिवादीगण उक्त तनकी को साबित कराने में असफल हुए है, जिससे यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

3. आया वाद में वर्णित सजरा अपूर्ण होने से वादिया का वाद चलने योग्य नही है

....प्रतिवादीगण

- उक्त तनकी को साबित कराने का दयित्व प्रतिवादीगण को है। चूकि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का हक व हिस्सा किस प्रकार नहीं है यह साबित कराने में असफल हुए है तथा प्रतिवादीगण द्वारा भी सजरे के अपूर्ण होने का कोई स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं नहीं किया गया है, केवल मात्र अपने जवाबदावे में कथन किया गया है। अतः यह प्रतिवादी द्वारा ठोस आधारों पर अपना पक्ष साबित नहीं कराने से यह तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

विद्वान वादी अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर किये गए उक्त विवेचन अनुसार न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के पूर्वाधिकारी वाला जी की मृत्यु उपरांत अपने भाई कन्ना को छोड़कर विरासत से अपने नाम नामान्तरण संख्या 150 दिनांक 16.01.1992 खुलवा दिया गया। तत्पश्चात् भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर द्वारा उप जिला कलक्टर, गिर्वा से द्वारा कन्ना जी की बेवा रामीबाई व पुत्री दौलीबाई के नाम पर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज हुआ। जिसकी अपील प्रतिवादीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में करने पर माननीय मण्डल द्वारा अपील स्वीकार कर उप जिला कलक्टर, गिर्वा के आदेश निरस्त कर निर्देशित किया गया कि "यह आदेश कोई न्यायिक आदेश नहीं होकर प्रशासनिक आदेश है। प्रशासनिक आदेशों के सम्बन्ध में न्यायाहिक कार्यवाही को मिश्रित नहीं कर सकते है। उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा अलग से न्यायिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।" माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को अनुचित नहीं बताया गया है। बल्कि उसकी प्रक्रिया को अनुचित बताया गया है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के पूर्वाधिकारी वाला जी के वारिसान होना अपने दस्तावेजों से साबित कराया गया है। मात्र राजस्व रेकार्ड में भूलवश प्रविष्ठि नहीं होने से वादीगण के मौरूसी भूमि में उनके अधिकार समाप्त नही हो सकते है। तनकीवार विवेचन के आधार पर भी तनकी संख्या 1 वादीया के पक्ष में एवम् तनकी संख्या 2 व 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की गई है। वादीगण को वादग्रस्त आराजीया में अनके अधिकारों की घोषणा जिसमें वाला जी की कुल राजस्व आराजीयात में 1/4 का खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:30 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री जारी की जाती है :–

1. राजस्व ग्राम मोटा देवरा, पटवार मण्डल लकड़वास, भू अभिलेख क्षेत्र साकरोदा के **खाता संख्या 95** के आराजीयात आराजी संख्या 734, 735, 736, 740, 741, 742, 744, 753, 819, 836, 837, 841, 842, 847, 848, 4220, 4221, 4225, 4238, 4239, 4240, 4241, 4249 कुल किता 23 कुल रकबा 3.0400 हैक्टयर भूमि में **वादीया दौलीबाई पुत्री स्व. कन्ना जी को 1/4 हिस्से का, जगन्नाथ पुत्र वाला जी 1/3 हिस्से के बजाय प्रतिवादी संख्या 1/1 भेरूलाल पिता स्व. जगन्नाथ जी व 1/2 बेनीबाई पिता स्व. जगन्नाथ जी को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 खेमा पुत्र वाला 1/3 हिस्से के बजाय 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 टेका पुत्र वला 1/3 हिस्से के बजाय 1/4 हिस्से का** खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2. राजस्व ग्राम मोटा देवरा, पटवार मण्डल लकड़वास, भू अभिलेख क्षेत्र साकरोदा के **खाता संख्या 98** के आराजीयात आराजी संख्या 580, 581, 582, 583, 584, 585, 838 कुल किता 07 कुल रकबा 0.6500 हैक्टयर भूमि में वादीया **दौलीबाई पुत्री स्व. कन्ना जी को 1/12 हिस्से का, जगन्नाथ पुत्र वाला जी 1/9 हिस्से के बजाय प्रतिवादी संख्या 1/1 भेरूलाल पिता स्व. जगन्नाथ जी व 1/2 बेनीबाई पिता स्व. जगन्नाथ जी को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 खेमा पुत्र वाला 1/9 हिस्से के बजाय 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 टेका पुत्र वला 1/9 हिस्से के बजाय 1/12 हिस्से का** खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

3. राजस्व ग्राम मोटा देवरा, पटवार मण्डल लकड़वास, भू अभिलेख क्षेत्र साकरोदा के **खाता संख्या 96** के आराजीयात आराजी संख्या 745, 546 कुल किता 02 कुल रकबा 0.0600 हैक्टयर भूमि में **वादीया दौलीबाई पुत्री स्व. कन्ना जी को 1/8 हिस्से का, जगन्नाथ पुत्र वाला जी 1/6 हिस्से के बजाय प्रतिवादी संख्या 1/1 भेरूलाल पिता स्व. जगन्नाथ जी व 1/2 बेनीबाई पिता स्व. जगन्नाथ जी को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 खेमा पुत्र वाला 1/6 हिस्से के बजाय 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 टेका पुत्र वला 1/6 हिस्से के बजाय 1/8 हिस्से का** खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

4. राजस्व ग्राम मोटा देवरा, पटवार मण्डल लकड़वास, भू अभिलेख क्षेत्र साकरोदा के **खाता संख्या 97** के आराजीयात आराजी संख्या 3884, 3885 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2050 हैक्टयर भूमि में **वादीया दौलीबाई पुत्री स्व. कन्ना जी को 1/8 हिस्से का, जगन्नाथ पुत्र वाला जी 1/6 हिस्से के बजाय प्रतिवादी संख्या 1/1 भेरूलाल पिता स्व. जगन्नाथ जी व 1/2 बेनीबाई पिता स्व. जगन्नाथ जी को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 खेमा पुत्र**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shri Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:30 IST
Reason: SelfAttested

वाला 1/6 हिस्से के बजाय 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 टेका पुत्र वला 1/6 हिस्से के बजाय 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादीया के हक व हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करें। तहसीलदार गिर्वा को आदेशित किया जाता है कि उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:30 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 137/19 सन 2019 अनवान श्रीमती दौलीबाई पुत्री स्व. कन्ना जी डांगी, निवासी–बोलियों की भागल लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम (1) श्री जगन्नाथ पिता वाला जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर मृतक के बजाय :– (1/1) श्री भेरूलाल पिता स्व. जगन्नाथ जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकड़वास, तहसील गिर्या, जिला उदयपुर (1/2) श्रीमती बेनीबाई पिता स्व. जगन्नाथ जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (2) श्री खेमा पिता वाला जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (3) श्री टेका पिता वाला जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (4) श्री पेमा पिता मोती जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (5) श्री ओंकार पिता वज्जा जी डांगी मृतक के बजाय– (5/1) नाथू पिता ओंकार जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (5/2) श्री रघू जी पिता ओंकार जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (5/3). श्रीमती खेमाबाई पिता ओंकार जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर 5/4. श्रीमती लक्ष्मीबाई पिता ओंकार जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (6) श्री माना पिता कुका जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (7) श्री किशन उर्फ कन्ना जी डांगी पिता भग्गा जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (8) श्रीमती टम्मु पत्नी भग्गा जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (9) परथा पिता सवा जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (10) श्री हेमराज पिता कुका जी डांगी, निवासी बोलियों की भागल, लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (11) भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा बडगांव, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (12) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (13) यू.टी.आई बैंक लिमिटेड उदयपुर (राज.) (14) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 53 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री सम्पतलाल बोहरा वादी अधिवक्ता वादीगण की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–

वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री जारी की जाती है :–

1. राजस्व ग्राम मोटा देवरा, पटवार मण्डल लकड़वास, भू अभिलेख क्षेत्र साकरोदा के खाता संख्या 95 के आराजीयात आराजी संख्या 734, 735, 736, 740, 741, 742, 744, 753, 819, 836, 837, 841, 842, 847, 848, 4220, 4221, 4225, 4238, 4239, 4240, 4241, 4249 कुल किता 23 कुल रकबा 3.0400 हैक्टयर भूमि में वादीया दौलीबाई पुत्री स्व. कन्ना जी को 1/4 हिस्से का, जगन्नाथ पुत्र वाला जी 1/3 हिस्से के बजाय प्रतिवादी संख्या 1/1 भेरूलाल पिता स्व. जगन्नाथ जी व 1/2 बेनीबाई पिता स्व. जगन्नाथ जी को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 खेमा पुत्र वाला 1/3 हिस्से के बजाय 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 टेका पुत्र वला 1/3 हिस्से के बजाय 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:30 IST
Reason: SelfAttested

2. राजस्व ग्राम मोटा देवरा, पटवार मण्डल लकड़वास, भू अभिलेख क्षेत्र साकरोदा के खाता संख्या 98 के आराजीयात आराजी संख्या 580, 581, 582, 583, 584, 585, 838 कुल किता 07 कुल रकबा 0.6500 हैक्टयर भूमि में वादीया दौलीबाई पुत्री स्व. कन्ना जी को 1/12 हिस्से का, जगन्नाथ पुत्र वाला जी 1/9 हिस्से के बजाय प्रतिवादी संख्या 1/1 भेरूलाल पिता स्व. जगन्नाथ जी व 1/2 बेनीबाई पिता स्व. जगन्नाथ जी को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 खेमा पुत्र वाला 1/9 हिस्से के बजाय 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 टेका पुत्र वला 1/9 हिस्से के बजाय 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

3. राजस्व ग्राम मोटा देवरा, पटवार मण्डल लकड़वास, भू अभिलेख क्षेत्र साकरोदा के खाता संख्या 96 के आराजीयात आराजी संख्या 745, 546 कुल किता 02 कुल रकबा 0.0600 हैक्टयर भूमि में वादीया दौलीबाई पुत्री स्व. कन्ना जी को 1/8 हिस्से का, जगन्नाथ पुत्र वाला जी 1/6 हिस्से के बजाय प्रतिवादी संख्या 1/1 भेरूलाल पिता स्व. जगन्नाथ जी व 1/2 बेनीबाई पिता स्व. जगन्नाथ जी को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 खेमा पुत्र वाला 1/6 हिस्से के बजाय 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 टेका पुत्र वला 1/6 हिस्से के बजाय 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

4. राजस्व ग्राम मोटा देवरा, पटवार मण्डल लकड़वास, भू अभिलेख क्षेत्र साकरोदा के खाता संख्या 97 के आराजीयात आराजी संख्या 3884, 3885 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2050 हैक्टयर भूमि में वादीया दौलीबाई पुत्री स्व. कन्ना जी को 1/8 हिस्से का, जगन्नाथ पुत्र वाला जी 1/6 हिस्से के बजाय प्रतिवादी संख्या 1/1 भेरूलाल पिता स्व. जगन्नाथ जी व 1/2 बेनीबाई पिता स्व. जगन्नाथ जी को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 खेमा पुत्र वाला 1/6 हिस्से के बजाय 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 टेका पुत्र वला 1/6 हिस्से के बजाय 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादीया के हक व हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करें। तहसीलदार गिर्वा को आदेशित किया जाता है कि उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे .....रुपये की राशि .....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....द्वारा .....को दी जाए।

यह आज तारीख .....27.....माह .....5.....सन् .....24..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....
पद .....

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:30 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:30 IST
Reason: SelfAttested